

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) मालती देवी पति- संजय कुमार साहू एवं 2.) अंकित कुमार साहू पिता- संतोष प्रसाद ; ग्राम: कुमरांग-कला , थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 52, ग्राम: कुमरांग- कला, (रैयती भूमि) खाता सं.-45, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित- 219[0.085 एकड़], 392[0.175 एकड़], 429[0.525 एकड़], 303[0.055 एकड़]; खाता सं.-2, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित-41[0.14एकड़]; खाता सं.-45, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित-360[0.09एकड़], 182[0.08 एकड़], 192[0.07एकड़]; Khata No-6 , के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित-409[0.14एकड़], खाता सं.-59 , के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित- 585[0.22एकड़]; खाता सं.-64, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित-525[0.16एकड़], 580[0.145एकड़]; (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) खाता सं.-116, के अधीन प्रस्तावित खेसरा रकबा सहित-584/38D[0.78एकड़], 584/52C[0.30एकड़], 115/12[0.31 एकड़], 115/19[0.305एकड़], 115/22[0.42एकड़]; कुल रकबा: - 4.00 एकड़ (रैयती भूमि एवं गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti empl Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiemplInd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

सूचना
30.04.2024
प्रबंधक (भू-राजस्व विभाग)
सी.सी.एल., राँची